मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2855

दिनांक 21.03.2022 को उत्तर के लिए

बाघों का हमला

2855. श्री अक्षयवर लाला :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के मोतीपुर क्षेत्र के गयाघाट के मैगल पुरवा और पकरिया में एक तेंदुए ने दो बच्चों को मार डाला और क्या करतनियाघाट वन्यजीव मंडल के मोतीपुर रेंज के एक गांव में भी तेंदुए ने एक बच्चे को मार डाला और क्या ऐसी घटनाएं अक्सर हो रही हैं जिसके कारण ग्रामीणों में दहशत है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का गांवों में जंगली जानवरों के प्रवेश को रोकने के लिए अत्याधुनिक बाड़ लगाने का विचार है और यदि हां, तो कब तक उक्त बाड़ लगाई जाएगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने उन परिवारों को मुआवजा दिया है जिनके सदस्य जंगली जानवरों के हमले में मारे गए हैं; और

(ङ) जंगली जानवरों के हमले में मारे गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) उत्तर प्रदेश वन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, करतनियाघाट वन्य जीव मण्डल में मोतीपुर रेंज से सटे वनों के बहराइच जिले में हुई अलग-अलग घटनाओं में चार बच्चे मारे गए थे।

(ख) घटनाओं से संबंधित नकारात्मक इंटरफेस को कम करने के लिए राज्य वन विभाग द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं :

(i) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुपालन में ऐसी घटनाओं में शामिल जानवरों की पहचान करना और उन्हें पकड़ना;

(ii) संवेदनशील गांवों में बार-बार जागरुकता अभियान और कार्यशालाएं आयोजित करना, इच्छुक ग्रामीणों को बाघ मित्र के रूप में नामित करना, गांवों के समीपवर्ती क्षेत्रों में छिपने के स्थानों को कम करने के क्रम में वैकल्पिक फसल पद्धति को अपनाने के लिए ग्रामीणों के साथ प्रयास करना;

(iii) ऐसी घटनाओं की संभावना वाले क्षेत्रों में सोलर लाइटें लगाना।

(ग) 'स्व-स्थाने' संरक्षण में बाड़ लगाना उचित नहीं है क्योंकि ये भौतिक संरचनाएं विभिन्न वन्य प्रजातियों के मध्य प्राकृतिक आनुवंशिक आदान-प्रदान को रोक सकती है और इससे उनके दीर्घकालिक अस्तित्व को खतरा हो सकता है और यह बाघ तथा वन्य जीव संरक्षण के लिए भी घातक सिद्ध हो सकता है। इसके अतिरिक्त, बाघ रिजर्वों और गलियारों की बाड़ लगाने से बाघ के सोर्स-सिंक और मेटा-पॉपुलेशन डायनेमिक्स में कृत्रिम अवरोध उत्पन्न होगा जिससे उनकी उत्तरजीवितता प्रभावित होगी। फिर भी, पूर्व में अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों में चयनित बाड़ लगाई गई है।

(घ) उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 17.10.2018 के 393/1-11-2018-4 (जी)/2016 के तहत मानव-पशु संघर्ष को प्राकृतिक आपदा के रूप में घोषित किया है। जो मृत व्यक्ति के निकट संबंधी को 5 लाख रुपए की एक-मुश्त अनुग्रह राशि के भुगतान का प्रावधान करता है।

(ङ) उत्तर प्रदेश वन विभाग की सूचना के अनुसार, करतनियाघाट वन्य जीव मण्डल, बहराइच के विभिन्न भागों में वर्ष 2021-2022 के दौरान तेंदुए, हाथी और बाघ से संबंधित हमले में नौ व्यक्ति मारे गए थे।

*****